उप निबंधक सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्रांक 5542–44 दिनांक 18 दिसम्बर 2013 की स्वीकृति के क्रम में दून वैली आफीसर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि. वसंत विहार के **मुख्य उददेश्य** संबंधी **उपविधि संख्या 4 के सब पैरा ड. के बाद सब पैरा च 'सुरक्षा** व्यवस्था' **जोड़ने के पश्चात प्रबंध कमेटी के** अधिकार **एवं कर्तव्य संबंधी** उपविधि **संख्या 35 के अन्त में निम्न सब** पैरा 36 जोड़ **दिया गया है :–**

"प्रबंध कमेटी अपने आवासीय क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा योजना बनायेगी, जिसमें आवश्यकतानुसार समय समय पर परिवर्तन व परिवर्धन किए जा सकेंगे । सुरक्षा योजना के सुचारू रूप में कार्यान्वित होने पर समिति का प्रत्येक सदस्य या जिसने अपना घर किराये पर दे रखा है, उस घर में रहने वाले किरायेदार तथा ऐसे सदस्य, कर्तव्यबद्ध होगा कि वह प्रबंध समिति द्वारा तय किए गये व्यय भार को मासिक अग्रिम अंश जैसा प्रबंध कमेटी समय समय पर निश्चित करें, प्रत्येक माह की 07 तारीख तक समिति के कार्यालय में जमा करेगा या त्रैमास/अर्धवार्षिक/वार्षिक अंश अग्रिम के रूप में दे सकता है और यदि उस पर 03 माह से अधिक ज्यादा बकाया हो जाता है तो प्रबंध कमेटी 15 दिन के अन्दर बकाया धनराशि जमा करने का नोटिस देगी । इसके बावजूद भी ऐसे सदस्य/व्यक्ति द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान इस अवधि के अंदर न किये जाने पर प्रबंध समिति को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे सदस्य पर मूल बकाया राशि पर 20 प्रतिशत दण्ड लगायेगी और उसको एक नोटिस दिया जायेगा कि वह 30 दिन के भीतर मूल बकाया धनराशि तथा आर्थिक दण्ड की धनराशि एकमुश्त समिति के कार्यालय में जमा करे/कराये । उसके द्वारा ऐसा न किए जाने की स्थिति में प्रबंध कमेटी को अधिकार होगा कि उसके विरूद्ध उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 70 के अन्तर्गत कार्यवाही करें । यह प्रावधान सफाई व पथ प्रकाश से सम्बन्धित बकाया देयों की वसूली पर भी लागू होगा ।"